सील्ड /रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-560/2023/11/22-2-2023-17(478)/2023
लखनऊ: दिनांक: 04 सितम्बर, 2023

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जय प्रकाश राय (बन्दी संख्या-25/21) पुत्र स्व0 लाल जी राय, निवासी पाली, थाना-बासगॉव, जनपद-गोरखपुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-116/1987 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर के आदेश दिनांक 31.05.1988 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक-17-12-2008 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा गया, की उम्र 62 वर्ष होने, अच्छे जेल आचरण, मेडिकल बोर्ड के अनुसार बन्दी मुँह के कैंसर रोग से ग्रसित होने, दिनांक 10.12.2022 तक 04 वर्ष, 01 माह, 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 04 वर्ष, 08 माह, 21 दिन की सपरिहार भोगी गयी सजा के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-560/2023/11(1)/22-2-2023 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in